राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 2433/2005/जोधपुर.

1. दी इण्डियन होटल्स कंपनी लिमिटेड,
   मांडलिक रोड़, मांडलिक हाउस, कोलाबा, मुम्बई
2. रानी महेन्द्र कुमारी, पत्नी स्व0 महाराज हरी सिंह,
   निवासी 5, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर. .....प्रार्थीगण.

बनाम

1. कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर वृत, जोधपुर
2. स्टेट ऑफ राजस्थान
3. राजकुमार प्रेमकुमारी पुत्री स्व0 महाराज हरी सिंह
   निवासी 5, रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर. .....अप्रार्थीगण.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सुनील नाथ एवं अर्चित बोहरा,
अभिभाषकगण .....प्रार्थी की ओर से.
श्री सुनील पारीक, अभिभाषक ....अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से.
श्री जमील जई,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी (राजस्व) की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/03/2018

निर्णय

1. प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर (मुद्रांक), जोधपुर वृत, जोधपुर (जिसे आगे **'कलेक्टर (मुद्रांक)'** कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 391/2000 में पारित किये गये अन्तरिम आदेश दिनांक 22.12.2001 के विरूद्ध भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 56 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थिया संख्या 2 रानी महेन्द्र कुमारी एवं अप्रार्थिया संख्या 3 राजकुमारी प्रेमकुमारी द्वारा रेजीडेंसी रोड़, जोधपुर स्थित अपने स्वामित्व की सम्पत्ति क्षेत्रफल 7 एकड़ जिसमें कुछ निर्मित भाग को होटल व्यवसाय हेतु प्रार्थी संख्या 1 दी इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई को 50 वर्ष के लिये कतिपय शर्तों के साथ अनुबन्ध पर दिया गया, जिसका इकरारनामा दिनांक 16.04.1994 को निष्पादित किया गया, किन्तु उक्त इकरारनामा दस्तावेज को राजस्थान में पंजीबद्ध नहीं करवाया गया। उक्त तथ्य की जानकारी होने पर कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 के तहत उक्त दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क की देयता मानते हुए प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस की पालना में प्रार्थीगण द्वारा जाहिर किया गया कि विवादित इकरारनामा दस्तावेज राजस्थान राज्य में निष्पादित

लगातार.....2

नहीं होने से ना तो कलेक्टर (मुद्रांक) का क्षेत्राधिकार बनता है एवं ना ही उन पर किसी प्रकार की मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त जवाब को विवादित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.12.2001 से इस आधार पर अस्वीकार किया कि प्रश्नगत सम्पत्ति राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में अवस्थित होने से इस पर उनका पूर्ण क्षेत्राधिकार बनता है एवं प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 03.01.2002 (त्रुटिवश 03.01.2001 अंकित) नियत की गयी। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3. निगरानी की ग्राह्यता पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

4. प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने कथन किया कि विवादित इकरारनामा राजस्थान राज्य में निष्पादित नहीं होने से उन पर किसी प्रकार की मुद्रांक शुल्क की देयता नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कोई दस्तावेज मुद्रांकन हेतु राज्य के किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में जब कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया गया है तो मुद्रांक शुल्क की देयता का आक्षेप किया जाना प्रथम दृष्ट्या अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उनके द्वारा अपनी सम्पत्ति लीज पर नहीं दी गयी है बल्कि यह केवल एक व्यापारिक समझौता है, जिसमें एक पक्ष द्वारा अपनी सम्पत्ति दी गयी है तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपनी पूंजी लगाई गई है एवं तत्पश्चात् लाभांश में हिस्सेदारी तय की गयी है। इस प्रकार उक्त दस्तावेज लीज एग्रीमेंट की श्रेणी में नहीं आने से इस पर मुद्रांक अधिनियम के तहत किसी प्रकार की देयता नहीं बनती है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उक्त समस्त तथ्यों के सम्बन्ध में कलेक्टर (मुद्रांक) को भी अवगत करा दिया गया था, किन्तु कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रकरण में क्षेत्राधिकार मानते हुए प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निवेदन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश स्पष्टतः विधिक प्रावधानों एवं प्रकरण के तथ्यों के विरूद्ध होने से प्रार्थीगण की निगरानी ग्रहण की जाकर प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रार्थीगण के अभिभाषक के कथनों से सहमति व्यक्त करते हुए निगरानी को श्रवणार्थ ग्रहण किये जाने तथा प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....3

6. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत दस्तावेज स्पष्ट रूप से लीज इकरारनामा दस्तावेज की श्रेणी में आता है, जिसमें प्रार्थिया संख्या 2 व अप्रार्थिया संख्या 3 द्वारा अपने स्वामित्व की सम्पत्ति को प्रार्थी संख्या 1 को लीज पर दिया गया है एवं इसके एवज में एक निश्चित राशि तय की गयी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि उक्त दस्तावेज लीज एग्रीमेंट की श्रेणी में नहीं आता है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि विवादित सम्पत्ति राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले में स्थित है, जिसके सम्बन्ध में निष्पादित किसी भी दस्तावेज पर कलेक्टर (मुद्रांक) का पूर्णतया क्षेत्राधिकार बनता है, अतः इस बिन्दु पर भी प्रार्थीगण का तर्क अमान्य है कि विवादित इकरारनामा दस्तावेज का निष्पादन राजस्थान राज्य में नहीं हुआ है, अतः कलेक्टर (मुद्रांक) का क्षेत्राधिकार नहीं है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने प्रार्थीगण की निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में कथन किया कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, बल्कि प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों पर निर्णय पारित करते हुए प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार किया गया है, जो कि स्पष्ट रूप से एक अन्तरिम आदेश है। इसके पश्चात् कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु आगामी तारीख पेशी भी नियत की गयी है। अतः कलेक्टर (मुद्रांक) के अन्तरित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्थान कर बोर्ड में निगरानी प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी कोई प्रावधान मुद्रांक अधिनियम में नहीं होने से प्रार्थीगण की निगरानी ग्रहण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

7. निगरानी की ग्राह्यता पर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 22.12.2001 के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष यह आपत्ति की गयी थी कि उनके द्वारा निष्पादित दस्तावेज राजस्थान राज्य में निष्पादित नहीं होने से उनका क्षेत्राधिकार नहीं बनता है एवं ना ही मुद्रांक शुल्क की देयता बनती है। कलेक्टर (मुद्रांक) ने उक्त आपत्ति इस कथन के साथ खारिज की है कि विवादित सम्पत्ति जोधपुर जिले में स्थित होने से उनका पूर्ण क्षेत्राधिकार बनता है एवं इसके साथ ही कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण में सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी भी नियत की गयी है परन्तु प्रार्थी द्वारा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी प्रस्तुत जवाब के प्रत्येक बिन्दु पर स्पष्ट आदेश नहीं दिया गया है।

लगातार.....4

9. उक्त तथ्यों के अध्ययधीन यह स्पष्ट है कि कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा प्रकरण के गुणावगुण पर कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है, केवल प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई प्राथमिक आपत्तियों के सम्बन्ध में आदेश पारित किया गया है, परन्तु प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जवाब के प्रत्येक बिन्दु का विवेचन किये बिना प्रारम्भिक आपत्ति खारिज की गयी है ऐसी स्थिति में न्यायहित में निगरानी इस बिन्दु पर ग्रहण करते हुए क्षेत्राधिकार समबन्धी प्रत्येक बिन्दु का निस्तारण करने हेतु प्रकरण कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि यह प्रकरण वर्ष 2000 से कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष विचाराधीन है एवं मात्र क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर प्रकरण लम्बित रखा गया है जो उचित नहीं है अतः न्यायहित में कलेक्टर (मुद्रांक) को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस आदेश प्राप्ति से तीन माह की अवधि में प्रकरण में क्षेत्राधिकार एवं गुणावगुण पर विधि अनुसार पूर्ण विवेचन के साथ निर्णय पारित करें। साथ ही प्रार्थीगण को भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे वांछित दस्तावेज/साक्ष्य सहित दिनांक 16.04.2018 को कलेक्टर (मुद्रांक) के समक्ष उपस्थित होंगे।

11. फलतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्रहण कर सुनवाई की जाकर प्रकरण उपरोक्तानुसार कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

12. निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य